न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 157/2024

उनवान

1. रामदेव
2. भागचन्द पि. अनडा
3. मंदराज पुत्र श्रीकिशन
4. मोती पुत्र श्रीकिशन
5. रामलाल उर्फ रामकिशन पुत्र अनडा जाति जाट निवासी ग्रम (झबरकिया) लोहरवाडा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मथुरा देवी
2. ममता पुत्रियॉ दयाल
3. प्रेम पत्नी दयाल जाति जाट निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
4. मैनेजर, एचडीएफसी शाखा सेंदरिया, बान्दनवाडा, अजमेर।
5. मैनेजर, बेंक आफॅ बडौदा, शाखा नसीराबाद
6. उप पंजीयक नसीराबाद
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 5 अनुपस्थित 6 व 7 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.1.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा की निम्न आराजी वादीगण की कयशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3976	17–0–0	699	2.57
		700/6362	0.19

वंर्किग खसरा नम्बर 3976 रकबा 17–0–0 तत्कालीन खातेदार सुरजमल पुत्र हरदेव व दयाल पुत्र सुगना की खातेदारी थी। जिनके द्वारा जरिये पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 12.01.16 को वंर्किग खसरा नम्बर [illegible] 14–18–00 आराजी वादीगण को बैचान कर कब्जा व दखल सुपुर्द कर दिय[illegible] की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। [illegible] आराजी की राजस्व अभिलेख में विकय पत्र अनुसार वादीगण के नाम [illegible] हाल खसरा नम्बर [illegible] रकबा 2.57 व 700/6362 रकबा 0.19 को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्र[illegible]वादी संख्या 1 से 3 वि[illegible] वारिस के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:17:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नाम दर्ज कर दिया। हाल राजस्व अभिलेख के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा में से खसरा नम्बर 699 रकबा 2.384 भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहा। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 3976 रकबा 17–0–0 की आराजी दयाल पुत्र सुगना के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 3976 रकबा 17–0–0 में से 14–18–00 आराजी तत्कालीन खातेदार सुरजमल पुत्र हरदेव व दयाल पुत्र सुगना ने भागचन्द, रामदेव, रामकिशन व श्रीकिशन पि. अनडा वादीगण को जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र बैचान कर दी थी। क्रेता श्रीकिशन की मृत्यु हो गयी हे जिसके वारिस वादी संख्या 3 व 4 है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी विक्रेता दयाल पुत्र सुगना के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 699 रकबा 2.57 व 700/6362 रकबा 0.19 भी प्रतिवादी संख्या 1 से 2 विक्रेता की पुत्री के नाम दर्ज है। वादीगण का कथन है कि विक्रेता दयाल पुत्र सुगना की मृत्यु हो गयी है। तथा आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम दर्ज नही की गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण मे उपस्थित नही है। राज0 पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र क्रय की है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक क्रयशुदा है। विक्रेता दयाल पुत्र सुगना की पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 से ऋण प्राप्त किया है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा उक्त आराजी का बेचान पूर्व में ही कर दिया था। अतः आराजी मुतनाजा पर बैंक ऋण का इन्द्राज वादीगण के हितों पर अप्रभावित है। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण हाल खसरा नम्बर 699 रकबा 2.57 में से 2.384 आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 699 रकबा 2.57 में से 2.384 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी संख्या 1 को 1/4, वादी संख्या 2 को 1/4, वादी संख्या 3 व 4 को 1/4 व वादी संख्या 5 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:17:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामदेव बनाम मथुरा देवी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 157/2024
पेश करने की दिनांक – 01.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 699 रकबा 2.57 में से 2.384 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी संख्या 1 को 1/4, वादी संख्या 2 को 1/4, वादी संख्या 3 व 4 को 1/4 व वादी संख्या 5 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 1 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:17:11 IST
Reason: SelfAttested